वॉलंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया
स्वैच्छिक संगठनों की शीर्ष निकाय
स्थापना वर्ष 1988
स्वैच्छिक क्षेत्र की आवाज़
वाणी

ई - वाणी

अंक 15 अगस्त–सितम्बर 2015

इस अंक के भीतर

पृष्ठ 04

स्वयंसेवी क्षेत्र की सामूहिक शक्ति का पुनर्विन्यास

पृष्ठ 07

एसडीसी को किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना चाहिए।

पृष्ठ 09

राष्ट्रीय परामर्श रिपोर्ट निरंतरता को बढ़ावा देने के लिए नवाचारों की खोज

संपादकीय

राष्ट्रीय परामर्श 2015 में श्री जेटली और श्री जयंत कुमार के संबोधन

9 और 10 सितम्बर 2015 को वाणी ने विश्व युवक केन्द्र नई दिल्ली में ''निरंतरता को बढ़ावा देने के लिए नवाचारों की खोज'' पर अपना राष्ट्रीय परामर्श आयोजित किया। श्री हर्ष जेटली, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वाणी और डॉ. जयंत कुमार, अध्यक्ष, वाणी ने इस दो दिवसीय कार्यक्रम में प्रतिभागियों तथा अतिथियों का स्वागत किया। वाणी के पदाधिकारियों का एक संयुक्त संबोधन नीचे दिया गया है।

श्री हर्ष जेटली, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वाणी – पिछले कुछ वर्षों में नियामक नियमों जैसे एफसीआरए तथा आयकर के भय और निधिकरण में कमी के कारण स्वयंसेवी क्षेत्र में भारी नकारात्मकता उत्पन्न हुई है। नकारात्मकता के इस ''अस्थायी चरण'' से दूर जाने तथा आशावादिता की तरफ देखने की आवश्यकता है। इस परिदृश्य में वाणी ने स्वयंसेवी क्षेत्र की सकारात्मक व नवीन पहलुओं पर केन्द्रित एक परामर्श को धारण करने का निश्चय किया है। परामर्श की कार्यसूची को विशिष्ट रूप से योगदानों, परिवेश, मानयोजन तथा क्षेत्र की आवश्यकताओं पर केन्द्रित करते हुए डिजायन किया गया है। विभिन्न प्रकार की मौजूदा चुनौतियां नागरिक समाजिक संगठनों की कार्य प्रणाली का गला घोंट रही हैं। कुछ स्वयंसेवी संगठन सिकुड़ती लोकतांत्रिक परिवेश की चुनौती का सामना करते हैं। ऐसी ताकतों का दमन करने और इन संगठनों के लिए परिवेश सृजित करने हेतु प्रयास करने की आवश्यकता है। नागरिक समाज लोकतंत्र के स्तम्भों में से एक है और हमें स्वयंसेवी क्षेत्र की प्रक्रियाओं

बीबी–5, प्रथम तल, ग्रेटर कैलाश इन्क्लेव–2, नई दिल्ली – 110 048 (भारत)
फोनः 91–11–29228127, 41435535, 29226632, फैक्सः 91–11–41435535
ई–मेलः info@vaniindia.org वेबसाइटः www.vaniindia.org

और संरचना को मजबूत करने के लिए मूल स्तर पर आन्दोलन को कायम रखना चाहिए। इस अवसर पर हम सभी को आन्दोलन को निरंतर बनाये रखने के तरीकों के बारे में विचार करना चाहिए। भारत के राष्ट्रपति डॉ. प्रणब मुखर्जी द्वारा भी नागरिक समाज को लोकतंत्र का एक प्रमुख स्तम्भ माना है। नागरिक समाज और सरकार के बीच परस्पर विरोधी दृष्टिकोण एक लोकतंत्र में स्वाभाविक हैं।

डॉ. जयंत कुमार, अध्यक्ष, वाणी – मैं आप सभी को पूरे भारत में स्वयंसेवी संगठनों के लिए इस वार्षिक कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद देता हूँ। इस परामर्श का उद्देश्य केवल स्वयंसेवी क्षेत्र की समस्याओं पर चर्चा करना ही नहीं है बल्कि उन मुद्दों पर विचार करके समाधान निकालना भी है। भारत में नागरिक समाज के परिक्षेत्र के अन्दर विविध प्रकार के संगठन हैं– परमार्थ संस्थानों से लेकर अधिकार आधारित संगठन तक, औपचारिक रूप से संरचित से लेकर गैर–संरचित संगठनों तक। जब हम नवाचार और निरंतरता के पहलुओं को शामिल करते हैं, तो इनमें से प्रत्येक संगठन की अपनी आवश्यकतायें और जरूरतें होती हैं। स्वयंसेवी संगठनों के लिए सबसे बड़ी चुनौती इसकी प्रक्रियाओं के लिए नवाचार और निरंतरता को शामिल करना है। नवाचारों को पहचानते हुए विभिन्न प्रकार के संगठनों के लिए औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों संरचनाओं को ध्यान में रखे जाने की आवश्यकता है। अन्तरों के लिए अतिसंवेदनशील होना महत्वपूर्ण है, साथ ही हमें प्रक्रियाओं तथा संरचनाओं को मजबूत करने के लिए इन अन्तरों के मध्य एक सहक्रिया को खोजना होगा। इसके अलावा यदि हम सामाजिक परिवर्तन को प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो नवाचार की दिशा में इन प्रयासों को उदासीन या अराजनैतिक नहीं आंका जा सकता है। स्वयंसेवी क्षेत्र के प्रयासों को तकनीकी–प्रबंधकीय पहल तक सीमित नहीं किया जा सकता है; चूंकि परिवर्तनकारी विकास, जो कि क्षेत्र का उद्देश्य है, को समूहों जैसे जनजातिओं दलितों और महिलाओं की चिन्ताओं तथा मानवाधिकार जैसे मुद्दों के बारे में उनकी सीमा में चर्चा करनी होगी। यदि फेसबुक और ट्विटर सहित तकनीकी क्रान्ति का एक मानव आयाम के साथ विलय हो जाता है, तो कार्यनीतिक प्रयोग और क्षमता निर्माण के लिए संग्रहण के लिए असीम सामर्थ्य है। यह स्वयंसेवी क्षेत्र में एक चिरस्थायी नवाचार हो सकता है। निरंतरता को एक आर्थिक प्रतिमान से विशुद्ध रूप से नहीं देखा जा सकता है और सामाजिक तथा राजनीतिक आयाम को सम्मिलित करना चाहिए। इसे सशक्तीकरण का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए और आर्थिक सुख के स्तर तक सीमित नहीं रहना चाहिए।

स्वयंसेवी क्षेत्र के लिए एक अन्य चुनौती जवाबदेही के बारे में है। स्वयंसेवी संगठन निधि के एकत्रीकरण में विविध प्रकार की पाबन्दियों का सामना करते हैं। स्वयंसेवी संगठनों को नूतन तथा लचीले कार्य के लिए एक अवसर प्रदान करने वाले बहुत कम संसाधन उपलब्ध हैं। अन्ततः स्वयंसेवी संगठनों को अपनी विश्वसनीयता तथा विश्वास की कमी को निर्मित करना चाहिए। हमें स्वयंसेवी क्षेत्र के लिए विश्वास का निर्माण करने और इसकी विविधता बनाये रखने के लिए अन्य उपायों के साथ मीडिया का नवीन प्रयोग करने की आवश्यकता है। वाणी साथ आने के लिए स्वयंसेवी संगठनों को एक मंच प्रदान करने हेतु हम सभी के लिए एक आवश्यकता है और इसके प्रयासों के साथ हमारी यह एकजुटता सर्वोपरि तथा ठोस रहनी चाहिए।

हमारी नई कार्यकारिणी समिति के सदस्यों का स्वागत

श्री के. पंचाक्षश्रम, एस.आई.पी.ए., तामिलनाडू

श्री मुरलीधर चन्द्रम, सृजन केन्द्र, छत्तीसगढ़

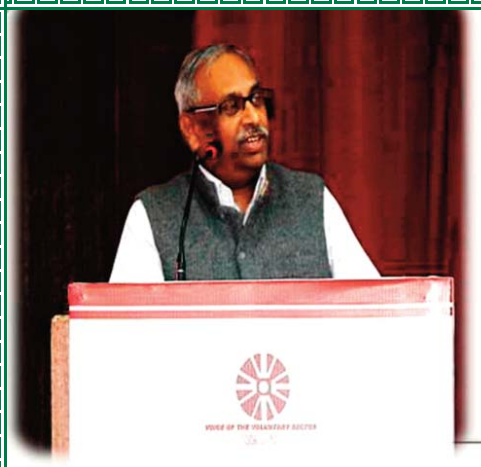

AND WE EXTEND OUR THANKS TO OUR OUTGOING CHAIRMAN

Dr. Jayant Kumar

Head of Programmes, CASA

"VANI occupies an important space in conducting advocacy for the voluntary sector. The future of the sector will depend on VANI's multifaceted interaction with the government, private sector and other bodies"

VOICE OF THE VOLUNTARY SECTOR
VANI

Thanking Mr. Shivakumar for his tenure as our Treasurer

VOICE OF THE VOLUNTARY SECTOR
VANI

स्वयंसेवी क्षेत्र की सामूहिक शक्ति का पुनर्विन्यास

— अर्जुन कुमार फिलिप्स, संचार अधिकारी, वाणी

विशेष रूप से स्वयंसेवी क्षेत्र को परिभाषित करती क्षेत्रीय अलगाव की आधुनिक शब्दावलियों की उत्पत्ति 20वीं शताब्दी के मध्य में हुई, जब गैर–राजनीतिक और गैर लाभ प्रकृति के संघों को समाज, राजतंत्र तथा व्यापार वर्गों के बीच सेतु के रूप में कार्य करते देखा गया था। परोपकारिता तथा संकल्प की भावना से प्रेरित संघ, संगठन और संस्थायें पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ रही हैं और विभिन्न रूपों में समाज की सेवा कर रहे हैं। स्वयं स्थानीय समुदायों के मध्य स्थित इन संघों या संगठनों ने सामाजिक जागरूकता उत्पन्न करने में भाग लिया और इसके बाद प्रत्यक्ष अंतरापृष्ठ संस्थायें (डीआईई) बन गयें; अर्थात इन्होंने क्रमशः राष्ट्रीय प्रगति की कार्यसूची से सामाजिक दुर्बलता का निर्मूलन करने के लिए समाधान आधारित नागरिक कार्यनीतियों के विकास के लिए एक मंच तैयार किया। गैर–सरकारी संगठनों या गैर–लाभकारी संगठनों, जैसाकि उन्होंने व्यापारों से प्रदत्त विशिष्टता के उद्देश्यों के लिए सहजरूप से छाप बनायी थी, ने स्वयं को विकास विज्ञानों पर एक अग्रणी विचारक के रूप में स्थापित किया। ये संघ और संगठन विकसित तथा विकासशील देशों अलग–अलग तरीके से कार्य करते हैं; अर्थात ये सुस्पष्ट सम्मिलन के साथ विकसित देशों में शहरी समुदाय के साथ और विकासशील देशों में ग्रामीण (तथा शहरी) समुदाय के साथ कार्य करते हैं। मूल अवस्था में उनके ज्ञान मूल्य को सरकार द्वारा देखा गया जिसे तुरन्त नीतियों को तैयार करने में सहायता के लिए निवेदित किया गया था। यह वही है जहां गैर–सरकारी संगठनों या गैर–लाभकारी संगठनों को उनके द्वारा निर्मित स्थान का प्रतिनिधित्व करने के लिए सामूहिक किया गया। इसके बाद यह अनुभव किया गया कि इन संघों द्वारा एक स्थान पर मिलने पर एक निश्चित विलक्षणता प्रस्तुत की गयी थी। अतः एक क्षेत्र के शीर्षक की कल्पना की गई और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में विभिन्न संकेतार्थों ने पैठ बनायी। नागरिक समाज भी इस क्षेत्र के साथ अनुपूरक बन गया, जैसाकि कई सक्रिय प्रतिभागियों ने स्वयं को संघों के माध्यम से संगठित किया। जबकि ऐतिहासिक रूप से नागरिक समाज 'समाज का चेतन' बन चुका है एक बार अभियानों, आन्दोलनों और संगठनों में इसके प्रेरित हो जाने से इसकी अभिव्यक्ति का माध्यम और अधिक प्रभावशाली हो गया है। कम्यूनिस्ट सरकारों के गिर जाने और कल्याणवाद के पुर्ननिरीक्षण के कारण विश्व घटनाक्रम में अचानक उत्पन्न हुई हलचल की जगह गैर–उदारतावाद

ने कई देशों के लिए नई आर्थिक योजना को परिभाषित करने की दिशा में मार्गदर्शक के रूप में ले ली है। भारत ने तेजी से इस आर्थिक रूपांतरण को अपनाया है और अब निजी क्षेत्र को सबसे दुष्कर आर्थिक समस्याओं जैसे गरीबी व बेरोजगारी से निपटने के लिए क्षेत्र खिलाड़ी समझा है। इस नई भागीदारी ने भौतिक लाभों को शामिल करके और पूंजीवाद तथा भ्रष्टाचार की विराट समस्या को रास्ता दिखाकर सरकार तथा निजी क्षेत्र के बीच प्रतिकर समझ को स्पष्टरूप से अनिवार्य बना दिया है। जैसाकि निजी क्षेत्र पर विश्वास में वृद्धि हुई है, स्वयंसेवी क्षेत्र की एक सुविचारित उपेक्षा थी। अनुसंधान, जिनकी एक बार सरकार द्वारा मूलस्तरीय संगठनों से अपेक्षा की गयी थी, अब व्यापारिक घरानों के मंडलों द्वारा लामबंदी में परिवर्तित हो गये हैं। नीति विवेचना ने विकास पर ध्यान केन्द्रित करने के बजाय अब निजी क्षेत्र के हितों को संरक्षित करना मंजूर किया है। हमारे पास जनजातियों के जीवंत दृष्टांत हैं जहां औद्योगिक दोहन के लिए खनन कॉरीडोर बनाये जाने हेतु नगण्य हर्जाना देकर उनको उनकी पारम्परिक भूमि से बलपूर्वक बेदखल किया जा रहा है। दूसरी तरफ उनकी शिकायतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठनों का पंजीकरण वापस लेकर तथा उनके खातों के प्रयोग को बंद कराके उनके अस्तित्व को समाप्त करने के लिए उनका दमन किया जाता है। इसके बाद मीडिया का एक वर्ग आता है जो किसी गलत काम के लिए राजनैतिक तथा व्यापारी वर्ग को बचाकर सारी गडबड़ी के लिए एनजीओ को जिम्मेदार मान करके झूठी निन्दा के द्वारा एक लालची की तरह टीआरपी प्राप्त करना चाह रहा है। ऐसे ही किसी को निष्कर्ष निकालना होगा कि भारतीय मीडिया के कुछ तेज मुंहों के ऐसे अबोधगम्य तर्क वितर्क हैं जिससे कि वे अनुभव करते हैं कि अधिकारविहीन लोगों के

बीच सामाजिक तथा राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना एक अपराध है। क्या एक लोकतंत्र में असहमति का वर्णन इस सीमा तक बदल रहा है कि मीडिया जिसे स्वतंत्र और गैर पक्षपाती होना माना जाता है वह भी मिलीभगत में शामिल है। शायद समय सर्वोत्तम निर्णायक हो सकता है संभवतः यह एक सबक भी प्रदान करेगा, जब मीडिया की आजादी खतरे में होगी।

हमारी शक्ति हमारा भविष्य

संगठनों की एकता का अभाव और सामूहिक स्वामित्व की भावना क्षेत्र में एक दुःखद लक्षण है। भावनात्मक विवरण मददगार नहीं हैं और हमारे क्षेत्र की नाजुक संधि से लटकने से हमारी गिरी हुई भावना केवल कमजोर होगी। क्षेत्र की ताकत सामूहिक क्रियाकलाप में है। हमारे द्वारा समाज की सेवा करने के कारण हमने परिमाणात्मक और गुणात्मक साख अर्जित की है। संक्रमण से सुरक्षित हमारी साख से उत्पन्न होने वाले लोगों के साथ विश्वासपूर्ण संबंध हैं, जिन्हें वकालत का संचालन करने के लिए लाभ प्राप्ति के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है।

गुणवत्तापूर्ण साख तभी पहचानयोग्य है जब हमें एक आंदोलन या अभियान के लिए लोगों का बड़े पैमाने पर समर्थन प्राप्त हो; नर्मदा बचाओ आन्दोलन, इंडिया अगेंस्ट करप्शन आदि के समय यह ध्यान देने योग्य था। परिमाणात्मक साख प्रमुखरूप से प्रलेखन और प्रतिवेदनों के माध्यम से रिकार्ड किये जा रहे प्रभाव मूल्यांकन के माध्यम से मापनेयोग्य है।

एक परियोजना की सत्यता तभी निर्धारित होती है, यदि एक संगठन के पास इसके परियोजना क्रियान्वयन की पुनः जांच के लिए कोई मूर्त प्रमाण हाथ में हो। कई संगठन अपनी उपलब्धियों को विभिन्न विधियों के माध्यम से प्रलेखित करते हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से इन्हें प्रस्तुत करने में असफल हो जाते हैं, हलांकि समानरूप से कई किसी भी प्रकार की रिपोर्ट प्रदान करने में असफल हो जाते हैं। परिणामस्वरूप, परिमाणात्मक साख का प्रदर्शन असफल हो जाता है, जिसे एक संगठन की उपलब्धियों को विशिष्टता से दर्शाते हुए साध्यरूप से एक जानकारी पैकेज के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए। संगठनों द्वारा संचालित उपयुक्त अनुसंधानों को भविष्य के क्रियान्वयन के लिए प्रयोग किया जा सकता है, यदि वे अनौपचारिक पठन के लिए सामान्य प्रलेखनों के बजाय केवल वकालत पोर्टफोलियो के रूप में तैयार किये गये हों। उत्पन्न हो रही प्रचुर वकालत सामग्रियां क्षेत्र की दिशा में झुकी कुछ सार्वजनिक मान्यताओं का मार्ग प्रशस्त करेगीं।

सोशल मीडिया प्रयोगों का व्यापकरूप से प्रयोग अधिक बुद्धिमानी हो सकती है, जो विभिन्न जनसंख्याओं और जनसांख्यिकों पर एक अधिक बड़ा प्रभाव डालने में सक्षम होगा। स्वयंसेवी क्षेत्र की वर्तमान समस्या स्वामित्व का अभाव और एक क्षेत्र के रूप में इसके अस्तित्व की अमूर्त अभारोक्ति है। सामूहिक सामर्थ्य की गारन्टी केवल तभी होगी यदि यह परिमाणों में स्वामित्व की भावना और एकजुटता को साझा करने में एक अधिक बड़ी भागीदारी के द्वारा आगे आये। यह देखा गया है कि कई साथी संगठन मदद करने के लिए कंधा नहीं देना चाहते थे और वे विरोधों का जोखिम उठाये बिना अपने आरामदायक आवरण में रहते हुये पूरी तरह से संतुष्ट थे। इसे समानरूप से स्थानीय नेटवर्क बनाने के समय भी देखा गया। एकजुटता को उसके उतार पर देखना हतोत्साहित करने वाला है, जैसाकि कई संगठनों ने जब शासन करने वाले विधानों के साथ समस्या आयी तो अन्य संगठनों को प्रतिस्पर्धी एजेंसी के रूप में पहचान करके ''बेहतर हम वे नहीं'' की कहावत का अनुकरण करना पसंद किया है। क्या संगठनों का ऐसा रवैया सुयोग्य है जो स्वयं सामाजिक विकास की प्रतिज्ञा करते हैं। यदि हां तो यह ऐसे संगठनों को हटाने और स्थान की रक्षा करने के लिए अधिक उपयुक्त है, जिसे हमने इतनी कठिनता से स्वयं के लिए निर्मित और पोषित किया है। कागजी मुहर वाले संगठनों को सही गैर सरकारी संगठनों के कार्यक्रम और उनके सामूहित जनादेश को अपने कब्जे में करते देखने से अधिक घृणित कुछ नहीं है। यह समय है जब हमारे कानून निर्माताओं ने पंजीकरण कानून के पुनर्निर्माण के गुणों को देखा है, जिसने स्वयं को जीवित रखा है। यह क्षेत्र की पहचान को हानि पहुंचाने वाले उन पाखण्डी संगठनों को पकड़ में लेने के लिए आवश्यकरूप से उनके उद्देश्यों को भी पूरा करेगा। यह व्यापकरूप से देखा जाता है कि व्यापार अपने हितों की रक्षा के लिए एक साथ आते हैं लेकिन यह कल्पना करना मुश्किल है कि स्वयंसेवी संगठन/एनजीओ/सीएसओ ऐसा करेगें, जब उनका अधिक बडा उद्देश्य एक विकसित देश के निर्माण में योगदान करना हो। हमारी ओर आने वाली नकरात्मकता का प्रतिकार करने के लिए एक सामूहिक जागरूकता उत्पन्न करना और एकसाथ खड़े होने की आवश्यकता को आत्मसात करना एक अनिवार्य आवश्यकता है। इसे पूरा करने के लिए किसी भी क्षेत्र से हर आक्रमण का इस देश में स्वयंसेवी क्षेत्र द्वारा मार्गदर्शन किये गये निष्पादनों के माध्यम से प्रत्युत्तर और प्रतिकार किया जाना चाहिए। ऐसे प्रतिकार निश्चितरूप से हमारी छवि को बदलने में लाभप्रद होगें और जनसाधारण को एक अहसास प्रदान करेगें कि क्षेत्र राष्ट्र निर्माण में अतिआवश्यक है। यह समय है जब हमने अपने विरोधियों की तरफ परिस्थित को मोड़ दिया है, फलस्वरूप मीडिया और सरकार को अपनी इच्छाओं पर हमें विकृत करने देने के बजाय हमने हमारे छवि निर्माण के अभ्यास को स्वयं अपने हाथों में ले लिया है।

Voluntary Action Network India is pleased to inform to have elected its new chairman

Shri. Mathew Cherian

CEO, Helpage India

We Welcome Shri. Cherian and offer our heartiest congratulations

मैथ्यू चेरियन हेल्पऐज इंडिया बुजुर्गों के लिए एक अग्रणी वकालत और देखभाल करने वाला गैर–लाभ के मुख्य कार्यकारी हैं। वह नई दिल्ली से बाहर रहते हैं और पूरे भारत में कई गैर लाभों से जुड़े हैं। उन्होंने बिरला तकनीकी व विज्ञान संस्थान पिलानी से इंजीनियरिंग में स्नातक किया है। वह ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आनन्द से भारत के प्रथम ग्रामीण प्रबंधकों में से एक हैं। वह भारत में ओक्सफैम में निदेशक तथा चैरिटीज एड फाउन्डेशन में कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्य कर चुके हैं। उनकी नवीनतम बड़ी पहल क्रेडिबिलिटी एलायंस थी जो नागरिक समाज में जवाबदेही तथा पारदर्शिता को स्थापित करने के लिए कार्य करता है।

वर्तमान में वह हेल्पएज इंटरनेशनल गाइडस्टार इंटरनेशनल केयर इंटरनेशनल और साइटसेवर्स सभी प्रसिद्ध गैर लाभ को अपनी सेवायें प्रदान कर रहे हैं। वह राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद और राष्ट्रीय साम्प्रदायिक समरसता फाउंडेशन के सदस्य हैं। वह वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ गेरिआट्रिक हेल्थ के लिए स्वतंत्र आयुक्त हैं।

एसडीजी को किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना चाहिए

प्रकाशितः 8 अक्टूर 2015 इलडिस डेवेलपमेंट मैगजीन

अनेक गरीब और अधिकतर अधिकारविहीन समूहों को शताब्दी विकास लक्ष्यों पर प्रगति से लाभ नहीं प्राप्त हुआ है। ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की तन्वी भटकल रवैये में परिवर्तन और नीति की आवश्यकता के कारणों के बारे में विस्तार से बताती हैं।

सितम्बर में पूरे दुनिया की सरकारें निरंतर विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को अपनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सामान्य सभा में मिली। कार्यवाही के भाग के रूप में 'किसी को पीछे न छोड़ें'—शताब्दी विकास लक्ष्य पर विकास से उन सबसे अधिक अधिकारविहीनों को प्रकट करने और उन सभी को प्रगति प्रदान करने के लिए अगले वैश्विक अभियान में उनके पीछे नहीं छूटने को सुनिश्चित करने के लिये एक वैश्विक कार्यक्रम, पर एक उच्च स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया।

एक वर्तमान ओडीआई रिपोर्ट पार्श्वीकरण गहनरूप से कितना मजबूत है, असुविधाओं को बढ़ाने के लिए अतिसंवेदनशीलतायें प्रायः किस प्रकार अतिव्यापन करती हैं और हम वंचित हो सकने वाले कुछ समूहों के बारे में कितना कम जानते हैं, को रेखांकित करती है। घाना में बनी और उच्च स्तरीय कार्यक्रम में दिखायी गयी तथा रिपोर्ट के साथ संलग्न एक नई ओडीआई फिल्म आपके 'पीछे छूट' रहे एक समूह का हिस्सा होने पर संभावित जीवन को दर्शाती है।

प्रगति से निष्कासन

कुल मिलाकर पिछले 15 से अधिक सालों में आय के पदों में और स्वास्थ्य, शिक्षा तथा जीवन स्तरों के संबंध में गरीबी को कम करने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। अभी भी देशों के अन्दर विभिन्न समूहों तथा व्यक्तियों के अनुभव भिन्न भिन्न हैं, और कई सबसे गरीब तथा सबसे अधिकारविहीन समूहों को प्रगति से पर्याप्त लाभ नहीं मिला है।

नये एसडीजी कुछ समूहों द्वारा सामना किये गये नुकसानों को स्पष्टरूप से पहचानते हैं और किसी को पीछे नहीं छोड़ने की आवश्यकता पर बल देते हैं। वे समूहों की एक श्रृंखला को पहचानते हैं जिनका बुजुर्ग लोगों, अक्षम लोगों, प्रजातीय व धार्मिक अल्पसंख्यकों, महिलाओं व लड़कियों तथा यौन अल्पसंख्यकों सहित वंचन के कई संकेतकों में अत्याधिक प्रतिनिधित्व किया जाता है।

उदाहरणार्थ, 33 देशों में एक अध्ययन ने पाया कि उन घरों में रहने वाले दो तिहाई से अधिक लोग शिक्षा तथा स्वास्थ्य में अधिकारविहीन हैं जहां पर 'प्रमुख' एक 'प्रजातीय अल्पसंख्यक समूह' का एक सदस्य है। स्कूल से बाहर लगभग एक तिहाई बच्चे अक्षम हैं, और अक्षम लोग औसतन स्कूल के बहुत कम वर्षों को पूरा करते हैं।

यूएनएफपीए तथा हेल्पएज इंडिया इंटरनेशनल के अनुसार 5 बुजुर्ग लोगों में केवल एक व्यक्ति को पेंशन मिलती है तथा विकासशील देशों में यह हिस्सा और भी कम है।

आगे एक विशेष समूह के सभी लोग बहिष्करण का समानरूप से अनुभव नहीं करते हैं। समूह आधारित लक्षणों का कटाव समूहों के अन्दर भारी असमानता को आगे बढ़ाते हुए प्रायः अतिव्यापन करता है।

एक सार्वभौमिक परिपेक्ष्य

पार्श्वीकरण एक ऐसा मुद्दा है जो केवल विकासशील देशों तक ही नहीं सीमित है बल्कि विकसित देशों में भी इसके लिए जगह है। उदाहरणार्थ 11 यूरोपीय देशों में एक अध्ययन दर्शाता है कि गरीबी (6 प्रतिशत से कम की राष्ट्रीय माध्यिका आय के साथ) के खतरे पर रोमा लोगों का हिस्सा 10 प्रतिशत से 20 प्रतिशत के बीच के राष्ट्रीय औसत की तुलना में 78 प्रतिशत से 97 प्रतिशत के बीच था। जबकि अमेरिका में सामान्य जनसंख्या का 10 प्रतिशत एलबीजीटी के रूप में पहचाना जाता है यह संख्या बेघर युवाओं में 40 प्रतिशत तक बढ़ती है।

सुविधाहीन समूह प्रायः उच्च स्तरों के अविश्वास और अपनी पहचान पर आधारित भेदभाव का सामना करते हैं। उदाहरणार्थ 2010 और 2014 के बीच किये गये वर्ल्ड वैल्यूज सर्वे में 59 में से 39 देशों में आधे से अधिक उत्तरदाताओं ने कहा कि उन्होंने उनसे भिन्न राष्ट्रीयता के लोगों पर विश्वास नहीं किया। 60 देशों में औसतन 10 में से 4 लोगों ने विचार व्यक्त किये कि जब काम की कमी हो तो काम करने के लिए पुरूषों के पास महिलाओं से अधिक बड़ा अधिकार होता है।

2030 तक किसी के भी पीछे न छूटने को सुनिश्चित करने के लिए प्रगति को सबसे निचले स्तर तक पहुंचने की आवश्यकता होगी। यह सुविधाहीन समूहों के सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक अवसरों तक अभिगम्यता को उन्नत बनाने के लिए मजबूत रवैयों और सम्मिलित नीतियों में एक सामान्यकारी बदलाव को अनिवार्य बनायेगा। प्रत्येक व्यक्ति का महत्व है और वह जीवन में एक निष्पक्ष अवसर पाने का अधिकारी है, फिर वह कोई भी हो या कहीं भी रहता हो।

राष्ट्रीय परामर्श रिपोर्ट
निरंतरता को बढ़ावा देने के लिए नवाचारों की खोज
9 और 10 सितम्बर 2015
विश्व युवक केन्द्र नई दिल्ली

हाल के वर्षों में नागरिक समाज क्षेत्र ने अपनी भूमिका पर एक राष्ट्रविरोधी तत्व के रूप विभिन्न सरकारी एजेन्सियों और मीडिया के गंभीर दोषारोपण का सामना किया है। जबकि विभिन्न इंटेलीजेंस ब्यूरो और मीडिया रिपोर्टों ने सुविधापूर्वक तरीके से क्षेत्र को निशाना बनाया है। इन रिपोर्ट में भलीभांति शोध किये गये तथ्यों और आंकड़ों का अभाव है। क्षेत्र की छवि को धूमिल करने और इससे जनता के भरोसे को समाप्त करने के लिए अधिकतर मुद्दों को ऐसी रिपोर्टों और मीडिया द्वारा वास्तविकता से अधिक बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया है।

अतः इस सत्र को क्षेत्र के प्रमुख योगदानों को स्थानीय, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तरों पर विशिष्टता से दर्शाने के लिए डिजायन किया गया था। इसका लक्ष्य सिकुड़ते स्थान और संसाधनों का समाधान करने तथा नवाचारों को कायम रखने के तरीकों पर विचार करने के लिए क्षेत्र में जागरूकता का निर्माण करना था। इसे ऐसी प्रणालियों के लिए मार्ग प्रशस्त करने के लिए भी डिजायन किया गया था, जिसमें क्षेत्र की छवि का निर्माण किया जा सके।

श्री मैथ्यू चेरियन हेल्पऐज इंडिया के सीईओ ने सत्र की अध्यक्षता की। उन्होंने सत्र का परिपेक्ष्य प्रदान किया और भूमि, स्वास्थ्य, जल, शिक्षा, बाल अधिकार, महिला सशक्तीकरण, नेतृत्व आदि के विभिन्न क्षेत्रों में क्षेत्र के वर्षों के योगदान पर प्रकाश डाला। उन्होंने साझा किया कि ऐतिहासिक प्रमाण दर्शाते हैं कि भारत में गैर सरकारी संगठनों के संचालन की शुरूआत वर्ष 1800 में हुई थी। श्री चेरियन ने स्वयंसेवी क्षेत्र के विभिन्न चरणों के बारे में जानकारी दी और भूमि, जल, जंगल जैसे विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देने वाले कुछ महत्वपूर्ण नामों (श्री पी वी राजगोपाल, श्री राजेन्द्र सिंह, सुश्री मेधा पाटकर आदि) का वर्णन किया। 1980 के बाद भारत में विभिन्न सामाजिक आन्दोलनों ने क्षेत्र के योगदान को देखा; जनजाति संघर्ष, भारत में देशी लोगों का विस्थापन, नाभिकीय– विरूद्ध आंदोलन, मछुवारा संघर्ष आदि। अधिकारों तथा न्याय को सुनिश्चित करने के लिए एनजीओ द्वारा विभिन्न कानूनों जैसे

सूचना का अधिकार (आरटीआई), असंगठित कर्मचारियों के अधिकार, संयुक्त वन प्रबंधन (जेएफएम), भूमि बिल और भूमि अधिकार, गंगा कार्य योजना आदि की मांग की गयी। उन्होंने बताया कि यह विधिपूर्वक है क्योंकि इन लोगों ने संघर्षों का नेतृत्व किया और उसका स्वामित्व लिया जैसाकि विभिन्न सरकारों ने एनजीओ के लिए अधिक कठोर विनियम बनाये हैं।

श्री गौतम ओझा, पूर्व उपाध्यक्ष स्टार टीवी व स्वतंत्र सलाहकार ने बताया कि मानव स्वतः सामाजिकरूप से या मानसिक प्रारूपों के साथ सोचकर निर्णय करता और निष्कर्ष निकालते हैं, जिसका अर्थ है कि वे या तो बिना प्रयास किये, स्वतः सोचते हैं या वे सामाजिक वरीयताओं, सामाजिक पहचानों, सामाजिक नियमों द्वारा प्रभावित होते हैं या अवधारणाओं, पहचानों, रूढ़िवाद तथा उनके समुदायों से प्राप्त विश्व के दृष्टिकोणों का प्रयोग करते हैं। उन्होंने सोचने के इस तरीके को अनुदान प्रदान करने वालों के द्वारा संगठनों के बारे में अपने विचार और निर्णय बनाये जाने के तरीके से यथार्थतः जोड़ा। संगठनों को उनके प्रभावों, व्ययों में दक्षता, पारदर्शिता, पेशेवरवाद तथा नैतिक व्यवहार के आधार पर परखा जाता है। उन्होंने बताया कि दाता समान सामाजिक दायरों में गमन करते हैं और संधि की सहजता को बढ़तेरूप से पसंद करते हैं।

श्री टी राज शेखर, निदेशक–एसएमई रेटिंग, सीआरआईएसआईएल ने कहा कि कानूनी स्तर, निधिकरण की प्रकृति और स्वयंसेवी संगठनों द्वारा प्रारम्भ किये गये क्रियाकलाप इसकी जवाबदेही के संबंध में दाताओं तथा अन्य शेयरधारकों की अभिज्ञताओं को आकार देने में मदद करने वाले तत्वों में शामिल हैं।

श्री बिजय बसंत पात्रो निदेशक– कार्यक्रम तथा सम्पादकीय, वन वर्ल्ड फाउंडेशन इंडिया ने विकास के लिए नये और उदीयमान माध्यमों के प्रयोग को साझा किया। उन्होंने न्याय, मातृ तथा बाल स्वास्थ्य देखभाल, जीविकोपार्जन, शिक्षा आदि तक पहुंच को उन्नत बनाने के लिए सूचना और संचार तकनीकी (आईसीटी) का एक औजार के रूप में प्रयोग करने में वन वर्ल्ड फाउंडेशन की विभिन्न पहलों पर प्रकाश डाला।

श्री के कामराज, संस्थापक, विदियाल ने आधुनिक सूचना और संचार तकनीकी विशेषकर मोबाइल फोन के प्रयोग के माध्यम से किसानों के लिए आजीवन सीखने पर अपने संगठन संबंधी अनुभव साझा किये। विदियाल संगठन ने भारत के तमिलनाडु राज्य में लगभग 250 एसएचजी और 4000 सदस्यों के साथ एसएचजी के एक संघ को प्रोत्साहित किया है और विभिन्न आय अर्जित करने वाले क्रियाकलापों के लिए ऋण प्राप्त करने में इन एसएचजी की मदद करता है।

सुश्री फरीदा वाहेदी, सह अध्यक्षा, वाणी ने बताया कि एक क्षेत्र जिसमें स्वयंसेवी संगठनों ने महत्वपूर्णरूप से योगदान दिया है वह है नीति हस्तक्षेप का क्षेत्र और उस पर प्रभाव भी बनाया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा का अधिकार इस देश में सभी बच्चों का सबसे मूलभूत अधिकार है, जिसके बिना कोई भी देश प्रगति नहीं कर सकता है।

सत्र 2: स्वयंसेवी संगठनों का नवीन वित्तपोषण : आगे बढ़ने का मार्ग

प्रस्तावना

भारत में कई स्वयंसेवी संगठन समाज में मूल्यवान कार्य कर रहे हैं। सूदूर क्षेत्रों में कार्य करने वाले विविध आकारों, संरचनाओं, क्षमताओं वाले स्वयंसेवी संगठन दृश्यता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। स्वयंसेवी संगठन की निरंतरता भी एक महत्वूपर्ण मुद्दा है जिसका सामना अनेक स्वयंसेवी संगठन कर रहे हैं। अपने अस्तित्व के लिए भारतीय धन को पूंजी में बदलना आज समय की आवश्यकता बन चुकी है। इस संदर्भ और परिस्थिति पर सत्र स्वयंसेवी संगठनों के कार्य को वेबसाइटों और सोशल मीडिया के द्वारा ऑनलाइन स्थान के माध्यम से सबसे प्रभावी तरीके से व्यक्त करने की विचारात्मक व चिंतनशील प्रणाली में शामिल हुआ। इस सत्र ने निधि प्राप्त करने की महत्वता और विभिन्न नवीन वित्तपोषण कार्यनीतियों के माध्यम से शामिल कदमों पर चर्चा की, जो क्षेत्र द्वारा अपनाये जा सकते हैं।

मेजर जनरल एस एस संधु रिसोर्स एलायंस इंडिया– उन्होंने स्वयंसेवी संगठनों के निधिकरण परिदृश्य पर एक प्रजेंटेशन दिया। उन्होंने स्वयंसेवी संगठनों द्वारा अपने कार्य को प्रदर्शित और स्वयं अपने ब्राण्ड को निर्मित किये जा सकने वाले विभिन्न तरीकों के बारे में विस्तार से बताया। यह स्वयंसेवी संगठनों के कार्य पर प्रकाश डालने में मदद करेगा और निधिकरण के लिए अवसर प्रदान करेगा।

ओसामा मनसर्द डिजीटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन– उन्होंने एक संगठन द्वारा अपने कार्य को बताने के तरीके पर केन्द्रित अपने संगठन के प्रोफाइल के बारे में बताया जो दूसरों के लिए स्वयंसेवी संगठनों को पहचानने तथा उन तक पहुंचने में इसे और अधिक सहज बनाता है। भारत में अनेक स्वयंसेवी संगठन हैं लेकिन वेबसाइट रखने वाले संगठनों की संख्या अभी भी बहुत कम है। स्वयंसेवी क्षेत्र की सबसे बड़ी कमजोरी प्रशासन तंत्र हैं। व्यापार अपने उत्पाद को बेचने और समर्थन प्राप्त करने के लिए इन ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से और अधिक उपलब्धता चाहते हैं।

पीटर वी मी संस्थापक एथिकल स्ट्रैटेजी– भारत में ऑनलाइन प्रदान पर रिपोर्ट पर विचार विमर्श किया गया था, जिसे एथिकल और चैरिटीज एड फाउंडेशन के सहकार्य से तैयार किया गया था। ऐसा अनुभव किया गया कि यह अध्ययन महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑनलाइन प्रदान के कार्यक्षेत्र में भारतीय स्वयंसेवी क्षेत्र के अन्दर अनेक असहजतायें हैं। आज भारत में प्रदान करने के परिदृश्य में एक मूलभूत बदलाव हो रहा है।

संगीता ठकराल चैरिटीज एड फाउंडेशन ऑनलाइन डिजीटल अनुदान संचयन और सामाजिक विकास क्षेत्र के लिए सीएएफ द्वारा अनुदान संचयन औजार को सुगम बनाये जाने के तरीके पर प्रजेंटेशन साझा किया गया था। इस स्थान का प्रयोग कैसे किया जा सकता है। यह कहा जा सकता है कि व्यक्तिगत प्रदान करने की क्षमता बढ़ी है जैसाकि लोगों में एक व्यावहारिक परिवर्तन अनुभव किया गया है। डिजीटल अनुदान संचयन आधुनिक समय की कार्यनीति है और केवल व्यक्तिगत प्रदाता के लिए ही नहीं बल्कि कारपोरेट प्रदाताओं के लिए भी एक वरदान साबित होगी।

सत्र 3: क्षेत्र द्वारा नवाचार और प्रभाव

प्रतिभागी विभिन्न विषयक समूहों में बंटे थे। इस सत्र ने विभिन्न विषयक मुद्दों में शामिल प्रतिभागियों को अपने अनुभव साझा करने, अपने उत्तम अभ्यासों को प्रदर्शित करने तथा अपनी चिन्ताओं व उनके द्वारा सामना की जा रही समस्याओं को बताने के लिए स्थान व स्वतंत्रता प्रदान की।

सत्र 4: स्वयंसेवी क्षेत्र के लिए स्थान की पुनःप्राप्ति

पृष्ठभूमि

भारतीय स्वयंसेवी क्षेत्र का जटिल राजनैतिक, सामाजिक तथा आर्थिक मुद्दों के साथ शामिल होने और उन पर ध्यान देने के लिए नवीन प्रारूप व समाधान प्रदान करने का एक लम्बा और शानदार इतिहास है। इसने देश के विकास के कार्यक्रम को आकार देने तथा आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। हलांकि विकास में अन्य सक्रियकों जैसे सरकार और निजी क्षेत्र के संदर्भ में प्रायः इसने स्वयं को एक प्रतिरोधी स्थिति में पाया है तथा इसकी कार्यप्रणाली के लिए स्थान पर बारम्बार खतरा मंडराता है। यह विशेषकर आज के संदर्भ में सत्य है जैसाकि रिसावदार इंटेलिजेंस ब्यूरो और नियामक वातावरण का अपूर्व कसाव सुझायेगें।

अतः इस सत्र का लक्ष्य आज स्वयंसेवी क्षेत्र द्वारा सामना की जा रही विविध प्रकार की चुनौतियों पर चर्चा करना और इस स्थान की पुनःप्राप्ति के लिए रास्तों व कार्यनीतियों को खोजना था।

श्री जयंत कुमार कार्यक्रम प्रमुख सीएएसए और अध्यक्ष वाणी ने सत्र की शुरूआत पैनेल के सदस्यों और विचार–विमर्श किये जाने वाले मामले का परिचय करा कर की। उन्होंने देखा कि अभी हाल में ही इस बात के स्पष्ट संकेत थे कि नागरिक समाज के लिए जगह सिकुड़ रही है। स्वयंसेवी क्षेत्र के विकास में बाधक बनने और नागरिक समाज के अन्दर मतों व विचारधारा की विविधता को कम करने के लिए एक आभासी प्रयास भी है।

डा. समीर चौधरी निदेशक चाइल्ड इन नीड इंस्टीट्यूट (सीईएनआई) ने अपने प्रजेंटेशन की शुरूआत यह बताकर की कि स्वयंसेवी क्षेत्र द्वारा सामना किये जा रहे वर्तमान संघर्ष नये नहीं हैं और वे राजनैतिक विधानों, निधिकरण वातावरण और नियामक कानूनों के रूप में बदलती परिस्थितियों की परवाह किये बिना लगातार अटूट रहे हैं।

श्री अमिताभ बेहर कार्यकारी निदेशक नेशनल फाउंडेशन फार इंडिया व कार्यकारी समिति सदस्य, वाणी ने सारी दुनिया में कुछ सबसे बड़े संघर्षों का नेतृत्व करने के लिए नागरिक समाज की प्रशंसा की, जिन्होंने विभिन्न देशों की राजनैतिक अर्थव्यवस्था में तंत्रीय परिवर्तनों तथा आधारीय सुधारों को जन्म दिया। उन्होंने कहा कि यदि शब्द ''5 सितारा सक्रिय भागीदार'' को दबे कुचले तथा अधिकारविहीन लोगों के अधिकारों के लिए काम करने वाले लोगों के लिए लिखा माना जाता है तो यह गर्व और शक्ति का एक स्रोत होना चाहिए।

श्री बिनय आचार्य, संस्थापक निदेशक, उन्नति ने बताया कि कैसे पिछले कुछ सालों में स्वयंसेवी क्षेत्र का अनुस्थापन मुद्दा आधारित हस्तक्षेपों से परियोजना आधारित क्रियाकलापों में परिवर्तित हो गया है। उन्होंने आगे कहा कि पहले उनका राजनैतिक तथा सामाजिक निर्वाचन क्षेत्र स्वयंसेवी संगठनों के लिए सर्वोपरि महत्व का हुआ करता था। कार्यप्रणाली के पैमाने का विस्तार करने के लिए यह संबंध अब एक पूर्वव्यवसाय द्वारा स्थापन्न हो गया है।

श्री प्लैसिड ग्रेगोरी, निदेशक, सहायी ने स्वयंसेवी क्षेत्र की पहचान के संकट को प्रकट किया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार पुरातन पंजीकरण कानून ने पूरे क्षेत्र को अव्यवस्था में धकेल दिया है, जैसाकि विभिन्न विचारधाराओं, क्षमताओं और उद्देश्यों के साथ संगठन एक साथ संघटित हो गये हैं। उन्होंने आगे कहा कि क्षेत्र के अन्दर बौद्धिक विविधता ने संकट को और अधिक गंभीर बना दिया है, जैसाकि कुछ संगठन परिवर्तनशील विकास प्रतिमान के साथ सफलतापूर्वक शामिल होने में सक्षम हो गये हैं, जबकि अन्य अनुकूलन के लिए धीमें हैं।

डा. राजेश टंडन, अध्यक्ष, सोसाइटी फार पार्टिसिपेटरी रिसर्च इन एशिया (प्रिया) ने टिप्पणी की कि चुनौती स्वयंसेवी क्षेत्र के लिए केवल स्थान का पुनःदावा नहीं करती है; बल्कि यह नागरिकों के स्थान व प्रतिष्ठा के लिए एक अधिक बड़ा संघर्ष है। स्वयंसेवी संगठनों को नागरिक स्थान के संरक्षण के अधिक व्यापक उद्देश्य के साथ अपने विरोधों को एक सीध में लाने के तरीके पर आत्मपरीक्षण करने की आवश्यकता है। इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों जैसे नागरिक समाज कौन गठित करता है, लोकतंत्र में कार्यक्रम कौन निर्धारित करता है और परिणामों को कैसे मापा जाता है पर विचारों की शुरूआत करना शामिल है।